

ब्यूज टुडे

केंद्र सरकार ने प्लेटफॉर्म वर्कर्स से औपचारिक मान्यता के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने का आग्रह किया

केंद्रीय बजट 2025-26 में निम्नलिखित घोषणा की गई है-

- ई-श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स का पंजीकरण,
- पहचान-पत्र जारी करना, और
- आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान करना।

⊕ बजट में किए गए प्रावधानों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय शीघ्र ही योजनाएं शुरू करेगा। पंजीकरण कराने से वर्कर्स को लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के बारे में

परिभाषा: गिग वर्कर्स से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है, जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के दायरे से बाहर रहते हुए कार्य करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और ऐसे कार्य से आय अर्जित करता है।

⊕ गिग वर्कर्स को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है:

- प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स: इसमें ऐसे वर्कर्स शामिल हैं, जो किसी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर कार्य करते हैं। जैसे-स्विगी या जोमाटो।
- गैर-प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स: इसमें पारंपरिक क्षेत्रों में काम करने वाले कैजुअल वर्कर्स शामिल हैं। ऐसे वर्कर्स पार्ट-टाइम या फुल-टाइम आधार पर काम करते हैं। इनमें पारंपरिक क्षेत्रों में कार्यरत ओन-अकाउंट वर्कर्स भी शामिल होते हैं।
 - ⊗ ओन अकाउंट वर्कर्स (Own account workers): ये बिना किसी श्रमिक को काम पर रखे छोटे उद्यम चलाते हैं। हालांकि, वे परिवार के सदस्यों की मदद ले सकते हैं, जबकि नियोक्ता श्रमिकों को काम पर रखते हैं।

आर्थिक प्रभाव: नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत के गिग कार्यबल के 2024-25 में 1 करोड़ और 2029-30 तक 2.35 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।

गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के सामने आने वाली चुनौतियां

- सामाजिक सुरक्षा का अभाव: इन्हें EPFO या अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता है।
- अस्थिर और कम आय: प्लेटफॉर्म द्वारा अनुचित रूप से अत्यधिक कमीशन चार्ज करना, प्लेटफॉर्म द्वारा आई.डी. को मनमाने ढंग से निष्क्रिय करना, रेटिंग के आधार पर अवसरों की उपलब्धता, आदि।

शारीरिक और मानसिक तनाव: लंबे समय तक काम करना, वित्तीय तनाव और लक्ष्यों को पूरा करने का दबाव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

बजट में अर्थव्यवस्था में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के बढ़ते योगदान को मान्यता दी गई है। इसलिए, उन्हें न्यूनतम मजदूरी, निश्चित कार्य घंटे और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सहित विविध प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है।

गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए शुरू की गई पहलें

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020: इसमें गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तैयार करने की परिकल्पना की गई है।
- ई-श्रम पोर्टल: इसे असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
- सर्वेक्षण: घरेलू कामगारों की संख्या और अनुपात का अनुमान लगाने के लिए घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस: महिलाओं के विकास से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास तक

महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास (WLD) का उद्देश्य महिलाओं को नेतृत्वकारी भूमिका निभाने, विकास के लिए एजेंडा निर्धारित करने, नवाचार को आगे बढ़ाने और सबसे आगे रहकर नीतियों को आकार देने के लिए सशक्त बनाना है।

महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास (WLD) का महत्व

- समावेशी गवर्नंस: यह शासन-व्यवस्था के सभी स्तरों पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति को सक्रिय रूप से आकार देने एवं आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं की क्षमता को दिशा प्रदान करता है।
- लैंगिक समानता: यह लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़कर और लैंगिक असमानता को बनाए रखने वाले मानदंडों को खारिज करके पीढ़ियों से मौजूद असमानता को समाप्त करता है।
 - ⊕ ज्ञातव्य है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में से 129वें स्थान पर है।
- आर्थिक विकास: भारत सरकार के 2047 तक 'विकसित भारत' विज़न को प्राप्त करने में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया है।
 - ⊕ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण अध्ययन के अनुसार, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने से भारत की GDP में संभावित रूप से 30% की वृद्धि हो सकती है।

उद्यमिता विकास: महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा, जिसमें अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति व आदिवासी महिलाएं भी शामिल हैं।

महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास (WLD) से जुड़ी चुनौतियां

- जलवायु परिवर्तन: यह कार्य भागीदारी, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, परिवार आदि को प्रभावित करके महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बाधित करता है।
- लैंगिक डिजिटल विभाजन: मोबाइल जेंडर गैप 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 15% महिलाओं के पास इंटरनेट तक पहुंच है।
- शिक्षा: दुनिया भर में महिलाओं की औसत साक्षरता दर 79.9% है, जबकि भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 62.3% है।
- अन्य: कम महिला श्रम बल भागीदारी दर, मानसिक स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा आदि।

महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए शुरू की गई पहलें

- महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व के सशक्तीकरण और प्रगति के लिए G20 गठबंधन (G20 EMPOWER) शिखर सम्मेलन गांधीनगर, गुजरात: यह निजी क्षेत्र में महिला नेतृत्व एवं सशक्तीकरण में तेजी लाने पर केंद्रित है।
- नारी शक्ति बंधन अधिनियम, 2023: लोक सभा, राज्य विधान सभाओं और दिल्ली विधान सभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों की एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है।
- जल जीवन मिशन: स्वच्छ नल से जल आपूर्ति प्रदान करना। इसमें नियोजन, निर्णय लेने, कार्यान्वयन और निगरानी में महिलाओं को केंद्र में रखा गया है।
- प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना: यह खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन प्रदान करती है। इसके परिणामस्वरूप, पर्यावरण और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने शासन-व्यवस्था में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डाला

हाल ही में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ डेमोक्रेटिक लीडरशिप ने 'सुशासन के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी' सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने गवर्नेंस या शासन-व्यवस्था से संबंधित पद्धतियों को रूपांतरित करने में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्रक की भूमिका को उजागर किया।

शासन-व्यवस्था में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका

संसाधन प्रबंधन:

- मानचित्रण: रिसोर्ससैट, कार्टोसैट जैसे उपग्रह भूमि, जल और खनिजों के मानचित्रण के लिए भू-स्थानिक डेटा प्रदान करते हैं।
- कृषि: इसकी मदद से किसानों को फसल प्रबंधन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध कराया जाता है। उदाहरण के लिए- कृषि-निर्णय सहायता प्रणाली।
- वन: IRS उपग्रह वन क्षेत्र, वनाग्नि आदि के मानचित्रण में भारतीय वन सर्वेक्षण को सहायता प्रदान करते हैं।
- अवसंरचना: पीएम गति शक्ति योजना अंतरिक्ष आधारित स्थानिक नियोजन टूल (Spatial planning tools) और इसरो की इमेजरी सुविधा का उपयोग करके भारतमाला, सागरमाला आदि सहित विविध मंत्रालयों की अवसंरचना परियोजनाओं का एकीकरण करती है।
- सामाजिक क्षेत्रक:
 - अंतरिक्ष तकनीक जैसे इसरो के हेल्थ-क्रेस्ट का उपयोग करके स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि की जा रही है।
 - एजुसेट के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में लाइव लेक्चर और इंटरैक्टिव लर्निंग जैसे टेली-शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- आपदा प्रबंधन: इसरो का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डेटाबेस पोर्टल आपातकालीन प्रबंधन में सहायता के लिए GIS आधारित आंकड़ों के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करता है।
- सुरक्षा: जीसैट-7 और रिसैट संचार एवं देश की सीमा की निगरानी को सुनिश्चित करते हैं। साथ ही, मिशन शक्ति (2019) भारत की अंतरिक्ष से संबंधित रक्षा क्षमताओं का एक बेहतरीन उदाहरण भी है।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: वित्त वर्ष 2016-17 से मन्रेगा परिसंपत्तियों की जिओ-टैगिंग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्रक को उच्च स्तरीय अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सीमित राष्ट्रीय संसाधनों को आवंटित करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, अंतरिक्ष क्षेत्रक आधारित तकनीक की मदद से सुशासन को सशक्त बनाकर सामाजिक-आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करने में काफी मदद मिल रही है।

मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया

यह मध्य प्रदेश का नौवां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व में रातापानी, वीरांगना दुर्गावती, संजय धुबरी, सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़, पेंच आदि शामिल हैं।

माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में

- अवस्थिति: यह चंबल क्षेत्र के शिवपुरी जिले में भारत की मध्य उच्चभूमि के उत्तरी छोर पर स्थित है। मध्य उच्चभूमि ऊपरी विंध्य पहाड़ियों का भाग है।
 - इसे 1958 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- झीलें: इसके दक्षिणी भाग में साख्य सागर और माधव सागर हैं।
- जीव-जंतु: बाघ, नीलगाय, चिंकारा, चौसिंगा, चीतल, बार्किंग डियर, मार्श क्रोकोडाइल, तेंदुआ, सियार, अजगर आदि।
- वनस्पति: उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन और शुष्क कांटेदार वन। यहां पाई जाने वाली वृक्ष प्रजातियों में मुख्य रूप से करधई वृक्ष अधिक पाए जाते हैं।

भारत में टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया

- राज्य सरकारें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के प्रावधानों के अनुसार टाइगर रिजर्व अधिसूचित करती हैं। इसके लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) से सलाह ली जाती है।
- अधिसूचना में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं:
 - राज्य से प्रस्ताव प्राप्त होना;
 - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के अंतर्गत NTCA विस्तृत विवरणों की मांग करते हुए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी देता है;
 - NTCA समुचित जांच के बाद राज्य को प्रस्ताव की सिफारिश करता है;
 - राज्य सरकार संबंधित क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करती है।

बाघ (पेंथेरा टाइग्रिस) के बारे में

- पर्यावास: उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन, वुडलैंड्स, मैंग्रोव दलदल, घास के मैदान, सवाना आदि।
- विशेषताएं: सभी एशियाई विडाल वंशियों में सबसे बड़ा बाघ है। यह शिकार की गंध की बजाए मुख्य रूप से अपनी देखने की क्षमता और शिकार की हलचल एवं आवाज के जरिए शिकार करता है।
 - यह प्रायः एकांतवासी जीव है, हालांकि मादाएं अपने शावकों के साथ रहती हैं।
 - यह रात्रिचर प्राणी है और घात लगाकर शिकार करता है।
 - यह अच्छा तैराक होता है और अपने शिकार को डुबाने में सक्षम होता है।
- संरक्षण स्थिति: एंडेंजर्ड (IUCN)); परिशिष्ट-I (CITES); अनुसूची-1 {वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972}।

बाघों के संरक्षण के लिए भारत द्वारा और वैश्विक स्तर पर किए जा रहे प्रयास



प्रोजेक्ट टाइगर

यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEFCC) की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह बाघों के पर्यावास वाले राज्यों को सहायता प्रदान करती है।



टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन एशोर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स CAITS की मान्यता दिसंबर 2023 तक, भारत के कुल 23 टाइगर रिजर्वों को CAITS मान्यता प्राप्त हो चुकी है।



इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस:

भारत द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य बड़े विडाल वंशियों और उनके पर्यावासों का संरक्षण करना है।



ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम:

यह 2010 में ग्लोबल टाइगर पहल के तहत विकसित हुआ था। इसे विश्व बैंक द्वारा शुरू किया गया था, ताकि बाघों के पर्यावासों को बेहतर बनाया जा सके।



टाइगर अलाइव इनिशिएटिव:

यह WWF (वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड) की पहल है। इसका उद्देश्य वनों में बाघों की संख्या को दोगुना करना है।

प्रधान मंत्री ने महिला सशक्तीकरण में AI की भूमिका पर प्रकाश डाला

प्रधान मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि AI महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है तथा साथ ही, उनके जीवन को आसान बनाने में भी मदद कर रहा है।

महिला सशक्तीकरण के लिए AI

- ▶ व्यापक पैमाने पर व्यक्तिगत कौशल विकास प्रदान करना: कोर्सरा जैसे प्लेटफॉर्म AI-अनुकूलित पाठ्यक्रम (जैसे, कोडिंग, डेटा विश्लेषण आदि) प्रदान कर रहे हैं। इससे महिलाओं में कौशल की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है।
- ▶ आर्थिक सशक्तीकरण: AI के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग से प्रतिभा पूल का विस्तार होता है, भर्ती प्रक्रिया में पूर्वाग्रह कम होता है, समावेशी संवाद को बढ़ावा मिलता है और कार्यस्थल पर सहयोग बेहतर होता है।
- ▶ स्वास्थ्य सेवा और कल्याण: बेबीलोन हेल्थ सिम्युलेशन जैसे AI टूलस बीमारियों (जैसे, स्तन कैंसर) का जल्द पता लगाने में सहायता करते हैं। इससे दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार किया जा सकता है।
- ▶ सुरक्षा और संरक्षण: सेफ्टीपिन जैसी ऐप्स AI का उपयोग करके सुरक्षित शहरी मार्गों का मानचित्रण करती हैं। इससे उत्पीड़न के जोखिम को कम किया जा सकता है।

AI में महिलाओं के समक्ष चुनौतियां

- ▶ लैंगिक अंतर: ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2023 की माने तो दुनिया भर में, जो लोग AI के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनमें केवल 30% महिलाएं हैं।
- ▶ डिजाइन में पक्षपात: PwC के अनुसार तकनीकी नौकरियों में महिलाओं की कम भागीदारी (एक-तिहाई से भी कम) के कारण AI समाधान उनकी आवश्यकताओं को पूरी तरह से हल नहीं कर सकते हैं।
- ▶ धारणा अंतराल: PwC के अनुसार 24% महिलाओं को लगता है कि AI का उनके काम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि ऐसा मानने वाले पुरुषों का आंकड़ा 20% है।
- ▶ गोपनीयता जोखिम: AI द्वारा डेटा उपयोग को लेकर भी चिंताएं विद्यमान हैं, जैसे कि 2021 में यूनाइटेड किंगडम के एक अध्ययन में पाया गया था कि महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी ऐप्स संवेदनशील डेटा लीक कर रहे हैं।

AI एक परिवर्तनकारी तकनीक है, जो महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने की असीम संभावनाएं रखती है। हालांकि, इसका पूर्ण लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब यह समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करे।

AI में लैंगिक विविधता बढ़ाने के तरीके



STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा का समर्थन

महिला AI लीडर्स को आगे लाना चाहिए, ताकि वे अन्य महिलाओं को प्रेरित कर सकें और रूढ़ियों को चुनौती दे सकें।



समान अवसर

कम-से-कम 50% AI भूमिकाओं में महिलाओं को नियुक्त करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए।



मेंटरशिप

AI करियर में महिलाओं को मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करना चाहिए।



समान वेतन

महिलाओं को AI में आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाना चाहिए।

अन्य सुर्खियां



इनसाइडर ट्रेडिंग

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI/सेबी) ने इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधी नियमों के उल्लंघन के लिए नेस्ले इंडिया को चेतावनी जारी की।

इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में

- ▶ परिभाषा: इनसाइडर ट्रेडिंग सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी की प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने का कार्य है। इसमें किसी कंपनी या निगम में कार्य करने वाला या उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के पास उस कंपनी या निगम की प्रतिभूतियों (या शेयरों) के अप्रकाशित मूल्य की संवेदनशील जानकारी होती है। वह व्यक्ति उक्त जानकारी का दुरुपयोग कर उन प्रतिभूतियों (या शेयरों) का व्यापार करता है।
- ▶ विनियमन: इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध (PIT) विनियम, 2015 के तहत इसे विनियमित किया जाता है। इन विनियमों को 2024 में संशोधित किया गया था। ये विनियम कंपनी के आंतरिक लोगों को अनुपालक रीति से प्रतिभूतियों में व्यापार करने में सक्षम बनाते हैं।

इसके अंतर्गत:

- ⊕ सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग की समस्या को रोकने के लिए "ट्रेडिंग विंडो" का नियम बनाया है। ट्रेडिंग विंडो एक निश्चित समय अवधि होती है, जिसके दौरान इनसाइडर्स कंपनी के शेयरों में व्यापार कर सकते हैं। इसके कारण इनसाइडर्स के पास ट्रेडिंग के लिए एक सीमित समय होता है।
- ⊕ इनसाइडर ट्रेडर को शेयर की कीमत, राशि और लेन-देन की तारीख को पहले से निर्दिष्ट करते हुए एक 'ट्रेडिंग योजना' प्रस्तुत करनी होती है।



नातेदारी और समुदाय-आधारित देखभाल कार्यक्रम (KCBBCP)

यूनिसेफ (UNICEF) जिला प्रशासन और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के साथ मिलकर महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित जिलों, जैसे जालना में, परिवार-आधारित देखभाल को बढ़ावा देने के लिए KCBBCP पर काम कर रहा है।

KCBBCP के बारे में

- ▶ यह भारत की बाल संरक्षण प्रणाली में एक व्यापक बदलाव का हिस्सा है। इसके तहत संस्थागत देखभाल संस्थानों (जैसे अनाथालय) की जगह अब परिवार-आधारित समाधानों को अपनाया जा रहा है।
- ▶ इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
 - ⊕ बच्चों को उनके परिवार से अलग होने से रोकने के लिए परिवार को सशक्त बनाना।
 - ⊕ पालन-पोषण संबंधी देखभाल और नातेदारी देखभाल जैसी व्यवस्था को प्रोत्साहित करना।
- ▶ मस्तिष्क के बेहतर विकास के लिए बच्चों को उनके रिश्तेदारों या समुदाय के सदस्यों की देखरेख में उनके गांवों में रखा जाता है।
- ▶ मिशन वात्सल्य जैसी योजनाएं भी गैर-संस्थागत सहायता को बढ़ावा देती हैं, परिवार की भूमिका को मजबूत करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी बच्चा उपेक्षित न रह जाए।



विशाल गोलियथ बीटल

नए शोध में पाया गया है कि पश्चिमी अफ्रीकी कोको उद्योग और ड्रायड इंसेक्ट्स के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चलते गोलियथ बीटल की एक प्रजाति विलुप्त हो चुकी है।

गोलियथ बीटल के बारे में

- विशेषताएं:
 - ⊕ यह विश्व के सबसे बड़े कीटों में से एक है। यह 110 मिमी तक लंबा हो जाता है।
 - ⊕ इसकी पांच प्रजातियां पाई जाती हैं। नर में Y आकार के सींग होते हैं। मादा में सींग नहीं होते हैं।
 - ⊕ ये उड़ सकते हैं और रात्रिचर होते हैं।
 - ⊕ वयस्क गोलियथ बीटल वर्षावनों में परिपक्व वृक्षों से निकलने वाले रस या चिपचिपे तरल पदार्थ को खाते हैं।
- पर्यावास: ये मुख्य रूप से अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाए जाते हैं।
- महत्त्व: ये प्राकृतिक रूप से अपघटक होते हैं तथा मांस और पादपों के अपशिष्ट को खाकर पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करते हैं। इनकी अधिक संख्या अच्छे वन स्वास्थ्य का संकेत देती है।



जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC)

IPCC ने अपनी आकलन रिपोर्ट के सातवें चक्र पर काम शुरू कर दिया है।

- IPCC की आकलन रिपोर्ट सरकारों को सभी स्तरों पर जलवायु संबंधी नीतियां बनाने के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है।
- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) के बारे में
- इसके बारे में: यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है।
- उत्पत्ति: इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा 1988 में स्थापित किया गया है।
- सदस्य: भारत सहित 195 देश।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य नीति निर्माताओं को जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव व भविष्य में होने वाले जोखिमों, और अनुकूलन तथा शमन संबंधी विकल्पों के वैज्ञानिक आधार पर नियमित तौर पर आकलन प्रदान करना है।



हंटावायरस

अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के अनुसार, हंटावायरस की गंभीरता ने चिंताएं पैदा की है।

हंटावायरस के बारे में

- हंटावायरस विषाणुओं की एक फैमिली है। इस रोग का प्रसार कुछ कृन्तकों जैसे डियर माइस, सफेद पैर वाले चूहे, राइस रैट्स और कॉटन रैट्स द्वारा किया जाता है।
- प्रभाव: यह वायरस कई घातक बीमारियों का कारण बन सकता है, जिनमें शामिल हैं:
 - ⊕ हंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम (एक गंभीर श्वसन संबंधी बीमारी)।
 - ⊕ हैमरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम (HFRS): आंतरिक रक्तस्राव और गुर्दे की विफलता से जुड़ी स्थिति।
- जोखिम ग्रस्त लोग: ऐसे लोग जो उन क्षेत्रों में रहते या काम करते हैं, जहां कृन्तकों की आबादी अधिक होती है, जैसे किसान, निर्माण कार्य करने वाला श्रमिक आदि।
- उपचार: इसका कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार या इलाज उपलब्ध नहीं है।



ई-टॉयकैथॉन 2025

इलेक्ट्रॉनिक खिलौना खेलक को बढ़ावा देने के लिए MeitY की अनुसंधान पहल के तहत पहली बार सी-डैक द्वारा "ई-टॉयकैथॉन 2025" का आयोजन किया गया।

ई-टॉयकैथॉन 2025 के बारे में

- इसे MeitY द्वारा वित्त पोषित परियोजना "डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी-बेस्ड कंट्रोल एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक-टॉय इंडस्ट्री" के तहत घोषित किया गया था। भारत के खिलौना उद्योग के बारे में
- स्थिति: भारत के खिलौना उद्योग के 2028 तक 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
- उठाए गए कदम:
 - ⊕ भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के तहत खिलौना गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 2020 जारी किया गया है।
 - ⊕ खिलौनों के व्यापार, डिजाइन और गुणवत्ता तथा स्वदेशी खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना घोषित की गई है।
 - ⊕ विदेश व्यापार महानिदेशालय ने निम्नस्तरीय खिलौनों के आयात पर अंकुश लगाने के लिए सैंपल टेस्टिंग को अनिवार्य कर दिया है।



साहित्य अकादमी पुरस्कार

हाल ही में साहित्य अकादमी ने 23 लेखकों को वर्ष 2024 के लिए अपने प्रतिष्ठित 'साहित्य अकादमी पुरस्कार' से सम्मानित किया।

साहित्य अकादमी के बारे में

- उत्पत्ति: साहित्य अकादमी की औपचारिक स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। इसे सोसायटीज़ पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है।
- मंत्रालय: यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है।
- भूमिका: 24 भाषाओं में साहित्यिक गतिविधियां संचालित करता है। अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में संविधान की अनुसूची VIII के तहत सूचीबद्ध 22 भाषाएं तथा अंग्रेजी व राजस्थानी शामिल हैं।
- इसके प्रमुख पुरस्कार: साहित्य अकादमी पुरस्कार और भाषा सम्मान।
 - ⊕ यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक भारतीय नागरिक को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार किसी लेखक को जीवन में एक बार, एक भाषा में तथा एक विशिष्ट श्रेणी में दिया जाता है।



युद्ध अभ्यास खंजर

वर्ष 2025 में युद्ध अभ्यास खंजर-XII का आयोजन किर्गिज़स्तान में किया जाएगा।

युद्ध अभ्यास खंजर के बारे में:

- यह भारत-किर्गिज़स्तान संयुक्त विशेष बलों का युद्ध अभ्यास है।
- यह वार्षिक रूप से दोनों देशों में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है।
- उद्देश्य: आतंकवाद-रोधी और विशेष बल अभियानों के संबंध में अपने अनुभवों एवं सर्वोत्तम पद्धतियों का आदान-प्रदान करना।

सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व



अम्मू स्वामीनाथन (1894 - 1978)

'संविधान सभा की महिला सदस्यों का जीवन और योगदान' पुस्तक में वर्णित 15 महिलाओं में से एक श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन को उनके योगदान के लिए याद किया गया।

- यह भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में उनकी भूमिका के प्रति विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से एक श्रद्धांजलि है।
- अम्मू स्वामीनाथन के बारे में
- प्रारंभिक जीवन: उनका जन्म केरल के पलक्कड़ में हुआ था और उन्हें प्यार से 'अम्मुकुट्टी' कहा जाता था।
- राजनीतिक करियर:
 - ⊕ भारत छोड़ो आंदोलन (1942) के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
 - ⊕ 1946 में उन्हें मद्रास से संविधान सभा के लिए चुना गया था।
- प्रमुख योगदान:
 - ⊕ जातिगत प्रथा को चुनौती: उन्होंने स्वयं को 'शूद्राची' कहकर उच्च जातीय गर्व को चुनौती दी थी।
 - ⊕ महिला अधिकार: माना जाता है कि उन्होंने 1917 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर विमेंस इंडिया एसोसिएशन (WIA) की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक अधिकारों और मताधिकार के लिए संघर्ष करना था।
- मूल्य: समानता, न्याय, साहस, समानुभूति, आदि।

